

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प खर्खेडा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खर्खेडा व भू.अ.नि. इनामती की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोर / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खिरखिडी तहसील सपोर व जिला वरीली की जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 में खाता संख्या 117,309 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	खिरखिडी	117,309	जारी संख्या	जारी संजोबी

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी (राज०)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक:- 17/5/16

क्रमांक:- लोक अदालत / 206/48-52

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुश्री देवा प्रियंका संजोबी को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। नि- खिरखिडी

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
पीठासीन अधिकारी (राज०)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,